विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-09/2021</u>

श्री ज्ञानचंद्र जैन , — **आवेदक/अपीलार्थी**
म.क्र. 29, भगत सिंह छोला रोड,
भानपुर चौराहा, विदिशा रोड,
भोपाल (म0प्र0)

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक शहर संभाग, (पूर्व) — **अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी**
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.)

<u>आदेश</u>

(दिनांक 20.04.2022 को पारित)

01. आवेदक श्री ज्ञानचंद्र जैन, म.क्र. 29, भगत सिंह छोला रोड, भानपुर चौराहा, विदिशा रोड, भोपाल ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 21.10.2021 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल/ग्वालियर क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक बी.टी. 56/2021 में आदेश दिनांक 27/08/2021 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम, 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 22.10.2021 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक 09/2021 पर दर्ज की गई है ।

02. **<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>**

1. उक्त संबंध में लेख है कि जोन कार्यालय द्वारा दिये गये अगस्त 2020 के बिल में राशि 1,51,452 रू. जोड़ी गयी। उक्त राशी के संबंध मे जानकारी प्रदान करने बाबत कंपनी कार्यालय के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी मॉगी गई।

2. माननीय फोरम द्वारा समय–समय पर कि गई सुनवायी पर निर्देश दिये कि उक्त राशी के संबंध मे संपूर्ण तथ्यात्मक विवरण के साथ जानकारी प्रदान करायें लेकिन जोन प्रबंधक द्वारा केवल कुछ ऑकड़ो की सूचियॉ उपलब्ध करायी जिनमे राशि 1,51,452 रू की गणना की कोई जानकारी नहीं है।

3. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 कंडिका 8.33 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मॉग को छोड़कर, अंकेक्षण (ऑडिट) अथवा सर्तकता (विंजिलेंस) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशी की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएगे जिसके अंतर्गत ऐसे देयको के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। (संलग्न : वि.प्र. संहिता कंडिका 8.33 की प्रति)

4. जोन प्रबंधक के कथन अनुसार उक्त राशि की मॉग 2015 से 2018 के दौरान हुई भार वृद्धि से कि जा रही है यदि 2015–2018 में भार वृद्धि हुई थी तब उसी समय परिसर का भौतिक सत्यापन करना था यदि सत्यापन के दौरान परिसर मे स्थापित उपकरण स्वीकृत मॉग व भार से ज्यादा पाये जाते तब भार वृद्धि कराने हेतू नोटिस व सूचना देना चाहिए था जो कि उक्त अवधि के दौरान नहीं किया गया। 2015–2018 की अवधि के दौरान प्रदत्त सभी देयको को पूर्ण नियमित भुगतान किया।

5. काफी समय बाद भार वृद्धि के आधार पर राशी की मॉग करना अनुचित, अव्यवहारिक व नियमानुसार अवैधानिक है।

अतः माननीय लोकपाल के समक्ष अनुरोध है कि अनुचित तरीके से जोड़ी गई राशि 1,51,452 रू. को खत्म कर अगस्त 2020 का बिल संशोधित कराते हुए बिल प्रदान करायें।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–09/2021 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 23.11.2021 को नियत की गई।

प्रथम सुनवाई दिनांक 23.11.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री वासुदेव धनवानी, ऑफिस असिस्टेंड – III उपस्थित ।

आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से श्री वासुदेव धनवानी, ऑफिस असिस्टेंड – III उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री वासुदेव धनवानी द्वारा उप महाप्रबंधक (शसंपू) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क. लि., भोपाल के पत्र क्रमांक 6716 दिनांक 22.11.2021 प्रस्तुत किया, जिसे नस्ती में लिया गया ।

उप महाप्रबंधक (शसंपू) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल के पत्र क्रमांक 6716 दिनांक 22.11.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रकरण क्रमांक 09/2021 श्री ज्ञानचंद्र जैन वि. कम्पनी में जवाब हेतु उप महाप्रबंधक (शसंपू) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल द्वारा प्रबंधक भानपुर जोन (श्री अजय वाधवानी) की प्रकरण में प्रभारी अधिकारी प्रतिनिधि नियुक्ति की गई है । प्रभारी अधिकारी प्रकरण में नियत दिनांक को किसी आवश्यक कार्य से विद्युत लोकपाल कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं । अतः निवेदन है कि प्रकरण में 15 दिवस बाद की नियत दिनांक प्रदान करने का कष्ट करें ।

अनावेदक कम्पनी के निवेदन को स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 21.12.2021 नियत की जाती है ।

अगली सुनवाई दिनांक 21.12.2021 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई । जवाब क्रमांक 469 दिनांक 17.12.2021 निम्नानुसार है :–

शिकायतकर्ता श्री ज्ञानचंद्र जैन आत्मज श्री गोकुलचंद्र जैन प्लाट नम्बर 29 भगत सिंह कालोनी भानपुर पटेल मार्केट के सामने भानपुर द्वारा बिल संबंधी जानकारी चाही गई है सर्विस क्रमांक 2444006621 है उपभोक्ता के देयक मे वर्ष 2015,2016,2017 व 2018 के अन्तर की राशि रू. 1,51,452/– विद्युत बिल में जोड़ी गई थी। उपभोक्ता द्वारा माननीय शिकायत निवारण फोरम चॉदबड़ भोपाल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 56/21 प्रस्तुत किया गया था माननीय उपभोक्ता फोरम के पत्र क्रमांक बी.टी. 56/2021 दिनांक 11.02.2021 एवं 27.08.2021 के आदेश पर अक्टूबर 2021 में कुल बकाया राशि 2,36,067/– HVCMS(IN M/O AUG 2020) कुल डिमाण्ड 1,62,302/– रू. की क्रेडिट प्रदान कर दी गई है। उपभोक्ता को संशोधित बिल माह दिसम्बर 2021 तक 82,645/–(बिलिंग शीट संलग्न) प्रदान कर दिया गया है वर्तमान में उपभोक्ता को माह दिसम्बर 2021 में 82,645/– रू. का नियमानुसार संशोधित बिल जारी किया जा चुका है उपभोक्ता द्वारा 16,820/– माह जुलाई 2021 में अन्तिम भुगतान किया गया था उपभोक्ता को प्रतिमाह रीडिंग अनुसार बिल प्रदान किया जा रहा है।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में कुछ अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय की मांग की गई । मांग स्वीकारते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 04.01.2022 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 04.01.2022 को विद्युत लोकपाल का पद रिक्त होने के कारण उक्त प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी तथा विद्युत लोकपाल के पद पर दिनांक 14.02.2022 को पदस्थापना के बाद उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.02.2022 नियत की गई ।

सुनवाई दिनांक 24.02.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री अजय जैन तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री अजय वधवानी, सहायक यंत्री उपस्थित ।

आवेदक की ओर से सुनवाई के दौरान पुनः आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2022 प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अनावेदक को दी गई ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री अजय वाधवानी, सहायक यंत्री द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रतिवेदन क्रमांक 621 दिनांक 23.02.2022 प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :–

शिकायतकर्ता श्री ज्ञानचंद जैन आत्मज श्री गोकुलचंद्र जैन प्लाट नम्बर 29 भगत सिंह कालोनी भानपुर पटेल मार्केट के सामने भानपुर भोपाल द्वारा बिल संबंधी जानकारी चाही गई है सर्विस क्रमांक 2444006621 है उपभोक्ता को प्रतिमाह मीटर की खपत एवं रीडिंग अनुसार बिल प्रदान किये जा रहे है उपभोक्ता को माह अगस्त 2020 में 394 यूनिट का बिल जारी किया गया था उपभोक्ता के बिल में टैरिफ चेंज (Santion load/contract demand) के तहत मई 2015 से जून 2018 के तहत (HVCMS) राशि 151452/– रूपए की राशि बिल में जोड़ी गई थी माननीय फोरम के आदेश दिनांक 27.11.2021 को निराकरण किया गया जिसके उपरान्त उपभोक्ता का माह अक्टूबर 2021 का कुल विद्युत देयक 236067/– में संशोधन कर नियमानुसार कुल (HVCMS) की राशि 162302/– रूपए की क्रेडिट प्रदान कर संशोधित बिल उपभोक्ता को जारी कर दिया गया सूची संलग्न । माह फरवरी 2022 तक उपभोक्ता का कुल विद्युत देयक 89735/– है उपभोक्ता द्वारा अन्तिम बिल भुगतान 16820/– दिनांक 02.07.2020 में किया गया उसके उपरान्त उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई विद्युत देयक का भुगतान नहीं किया गया। उपभोक्ता का संशोधित बिल होने के उपरान्त प्रबंधक भानपुर जोन सहायक प्रबंधक एवं

फीडर लाइनमेंन द्वारा बिल भुगतान हेतु मौखिक बोला गया परन्तु उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उभयपक्षों को पुनः सुना गया, सुनने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि आवेदक को की गई बिलिंग एवं हटाई गई बिलिंग की जानकारी स्पष्ट नहीं है, अतः अनावेदक को निर्देशित किया गया कि की गई बिलिंग बिल में जोड़ी गई राशि एवं बिल से हटाई गई राशि का पूर्ण विवरण आवेदक को समझाने के साथ ही साथ फोरम के आदेश के पालन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । साथ ही बिल में जोड़ी गई राशि एवं बिल से हटाई गई राशि का पूर्ण विवरण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 30.03.2022 नियत की जाती है । उभयपक्षों को सूचित हो ।

अनावेदक ने दिनांक 24.02.2022 के कार्यवाही संदर्भ में विवरण पत्र क्रमांक 651 दिनांक 05.03.2022 प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है :—

उपरोक्त विषयांतर्गत के संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि शिकायतकर्ता श्री ज्ञानचंद जैन आत्मज श्री गोकूलचंद जैन प्लाट नम्बर 29 भगत सिंह कालोनी भानपुर पटेल मार्केट के सामने भानपुर भोपाल द्वारा बिल संबंधी जानकारी चाही गई है सर्विस क्रमांक 2444006621 है उपभोक्ता को प्रतिमाह मीटर की खपत एवं रीडिंग अनुसार बिल प्रदान किये जा रहे है उपभोक्ता को माह अगस्त 2020 में 394 यूनिट का बिल जारी किया गया था उपभोक्ता के बिल में टेरिफ चेंज (Santion load/contract demand) के तहत मई 2015 से जून 2018 के तहत (HVCMS) राशि 151452/— रूपए की राशि बिल में जोड़ी गई थी माननीय फोरम के आदेश दिनांक 27.11.2021 को निराकरण किया गया जिसके उपरान्त उपभोक्ता का माह अक्टूबर 2021 का कुल विद्युत देयक 236067/— में संशोधन कर नियमानुसार कुल (HVCMS) की राशि 162302/— रूपए की क्रेडिट प्रदान कर संशोधित बिल उपभोक्ता को जारी कर दिया गया बिन्दु बार विवरण निम्नानुसार हैः—

(i) उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन करते हुए उपभोक्ता के बिल में नियमानुसार संशोधन किया जा चुका है चूँकि उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर स्थापित मीटर की अधिकतम मॉग एवं की गई अन्तर राशि का विवरण निम्नानुसार हैः—

बिल माह	स्वीकृत माह HP	मीटर में दर्ज अधिकतम मॉग KW	टेरिफ अनुसार की गई अन्तर राशि की बिलिंग
मई 2015	10 एच. पी.	0 किलोवाट	363.00
मई 2017	10 एच. पी.	20 किलोवाट	3061.72
नवम्बर 2017	10 एच. पी.	22 किलोवाट	4129.87
जनवरी 2018	10 एच. पी.	22 किलोवाट	4227.62
अप्रैल 2018	10 एच. पी.	23 किलोवाट	4190.43
मई 2018	10 एच. पी.	24 किलोवाट	4185.07
जून 2018	10 एच. पी.	19 किलोवाट	3219.09

मीटर में दर्ज अधिकतम मॉग के सत्यापन हेतु मीटर की जॉच एल.टी.एम.टी. लैब गोविन्दपुरा में दिनांक 02.11.2017 एवं 22.06.2018 को कराई गई सूची संलग्न, मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट।

(ii) विभाग की बिजलेंस शाखा द्वारा दिनांक 11.04.2017 को श्री ज्ञानचंद्र जैन जी के परिसर का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 23 किलोवाट भार पाया गया एवं पंचनामा क्रमांक 4894/12 दिनांक 11.04.2017 में बनाया गया पंचनामें की प्रति संलग्न। जिससे यह सिद्ध होता है कि उपभोक्ता श्री ज्ञानचंद्र जैन स्वीकृत भार 10 HP से अधिक भार 30 HP का उपयोग कर रहे थे बिजलेंस शाखा द्वारा भार वृद्धि पंचनामें के माध्यम से सूचित किये जाने के बाद भी श्री ज्ञानचंद जैन जी द्वारा अपने परिसर पर स्थापित कनेक्शन के भार वृद्धि संबंधित कोई भी दस्तावेज उपसंभाग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे यह प्रतीत होता है उनके द्वारा भार वृद्धि हेतु कोई रूचि नहीं दिखाई गई।

(iii) माह फरवरी 2022 तक उपभोक्ता का कुल विद्युत देयक 89735/— है उपभोक्ता द्वारा अन्तिम बिल भुगतान 16820/— दिनांक 02.07.2020 में किया गया उसके उपरांत उपभोक्ता द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई विद्युत देयक का भुगतान नहीं किया गया। उपभोक्ता का संशोधित बिल होने के उपरान्त प्रबंधक भानपुर जोन सहायक प्रबंधक एवं फीडर लाइनमेंन द्वारा बिल भुगतान हेतु मौखिक बोला गया परन्तु उपभोक्ता द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

सुनवाई दिनांक 30.03.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अजय जैन उपस्थित तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आवेदक ने सुनवाई में यह बताया कि अनावेदक द्वारा माह मई 2015, मई 2017 नवम्बर 2017, जनवरी 2018, अप्रैल 2018, मई 2018 एवं जून 2018 में स्वीकृत भार से अधिक अधिकतम मांग दर्ज होने के कारण टैरिफ के अनुसार अंतर की राशि की गई है । आवेदक द्वारा माह नवम्बर 2017, जनवरी 2018 एवं जून 2018 के मूल बिल प्रेषित किए जिसमें नवम्बर 2017 में 5198.17 एवं जून 2018 में 4001.17 की राशि प्रदर्शित हो रही है, जिसके संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है न ही आवेदक ने व्यक्तिगत् सुनवाई में कोई स्पष्टीकरण दिया है । अतः सभी माहों के संबंध में जोड़ी गई अतिरिक्त राशि का विवरण उपभोक्ता को स्पष्ट करने के साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित सभी माहों के संदर्भ में प्रत्येक माह हर मद में बिल की गई राशि का पूर्ण विवरण प्रेषित करें एवं आवेदक उपभोक्ता को व्यक्तिगत् रूप से स्पष्ट करें । उपरोक्त विवरण प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिया जावेगा ।

04. दिनांक 30.03.2022 की सुनवाई के परिपालन में अनावेदक ने पत्र क्रमांक 12 दिनांक 03.04.2022 के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि माह मई 2017, नवम्बर 2017, जनवरी 2018, अप्रैल 2018, मई 2018 एवं जून 2018 के बिलों में बिल की गई पैनाल्टी की राशि का समायोजन करते हुए अंतर की राशि उन्हीं माहों में बिल की गई है जिनमें अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक दर्ज हुई है ।

05. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

दिनांक 30.03.2022 को आवेदक द्वारा माह नवंबर 2017 अतिरिक्त राशि 5198.17 एवं जून 2018 में राशि रू. 4001.17 प्रदर्शित हो रही है, के संबंध में संशय है अतः अनावेदक को मई–2017, नवंबर–2017, जनवरी–2018, अप्रैल–2018, मई–2018 एवं जून–2018 के बिलों का विवरण आवेदक को समझाते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । अनावेदक ने अपने पत्र क्रं 12 दिनांक 08.04.2022 के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि जिन माहों में 20 एच.पी. से अधिक अधिकतम मांग दर्ज हुई है उन्ही माहों में बिलिंग सिस्टम द्वारा टैरिफ अनुसार की गई पेनल बिलिंग के स्थान पर नियमानुसार पेनल बिलिंग की गई है उसमें से टैरिफ अनुसार बिलों में जोड़ी गई

पेनल राशि का समायोजन कर दिया गया है केवल अंतर की राशि ही बिल की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

श्री ज्ञानचन्द्र जैन, कनेक्शन क्रमांक N2444006621, स्वीकृत भार 10 एच.पी (7.46 कि.वा.)

Bill Month	MD Billed in kw	Already billed Panel Charges	Panel Charges/ differece as per rule	Difference Billed
May - 2017	20	4400.29	7462.01	3061.72
November - 2017	22	5198.17	9328.04	4129.87
January - 2018	22	5198.17	9425.79	4227.62
April - 2018	23	5597.17	9787.60	4190.43
May - 2018	24	5996.17	10181.24	4185.07
June - 2018	19	4001.17	7220.26	3219.09
		30391.14	53404.94	23013.80

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिल की गई राशि केवल अंतर की राशि है अतः आवेदक के संशय का समाधान होता है । अतः प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि और नियम/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते है।

(i) आवेदक के बिल में वर्ष 2015 से 2018 तक के अंतर की राशि रू. 151452/– माह अगस्त 2020 के बिल में जोड़ी गई थी ।

(ii) फोरम के आदेशानुसार उक्त राशि को माह नवम्बर 2021 में हटाते हुए नियमानुसार केवल उन्ही माहों में बिल अंतर की राशि की जावे, जिन माहों में अधिकतम मांग 20 एच.पी. से अधिक दर्ज हुई है।

(iii) माह मई–2017, नवंबर–2017, जनवरी–2018, अप्रैल–2018, मई–2018 एवं जून–2018 में अधिकतम मांग 20 एच.पी. से अधिक होने के कारण अंतर की राशि बिल की गई है।

(iv) बिन्दु क्रमांक (iii) के मद में बिल की गई राशि के संबंध में आवेदक के संशय का भी अनावेदक द्वारा स्पष्टीकरण मय विवरण के देकर समाधान कर दिया है ।

(v) वर्तमान स्थिति में बिलों में किसी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश नहीं है ।

(vi) विवरणों से स्पष्ट है कि आवेदक बिलों के भुगतान में लगातार लंबे समय तक अवहेलना कर रहा है जो कि नियम विरूद्ध एवं अवांछनीय है ।

06. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है:–

(i) अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

(ii) अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि लंबे समय से भुगतान नहीं की गई बिलों की राशि का तत्काल भुगतान करें ।

(iii) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा पारित आदेश यथावत् रखा जाता है ।

(iv) उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेगें ।

(v) आदेश की प्रति कि साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हो और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापस हो ।

विद्युत लोकपाल